N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0187 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/09/2024 22:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 02/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:15 बजे **Time To (समय तक):** 17:42 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/09/2024 **Time (समय):** 19:45 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/09/2024 22:53:49 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 02 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYLAYA AAYUKT KENDRIYA, BASTU AVAM SEWAKAR SAMBHAG, D BHIWADI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MUFREED KHAN

(b) Father's Name (पिता का नाम): JAHUR KHAN

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1991 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.): Place of Issue
Date of Issue (जारी करने का स्थान):
(जारी करने की तिथि):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PLOT NO A 01, SHYAM VIHAR COLONY, NAI KI THADI, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PLOT NO A 01, SHYAM VIHAR COLONY, NAI KI THADI, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEVENDER GURJAR		पिता:PANNALAL	1. 143,JAGDISH PURI NEAR,DHABAS PULIA,JAIPUR CITY
2	BHAV SINGH		पिता:CHANDURAM	1. KHILORA,RAMGARH(ALWAR),A LWAR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि " मेरी किंगडम होल्डिंग कन्सट्रक्शन गु०रप के नाम से फर्म है। मेरी फर्म द्वारा बिल्डिंग बनाने एंव चौपाहिया वाहन क्रय-विक्रय का कार्य भी करती है। दिंनाक 29.07.2024 को देवेन्द्र इन्सपैक्टर मेरी फर्म ऑफिस पर आया और मेरी फर्म के बिल वाउचर चैक किया तथा कहा कि आप जीएसटी की चोरी कर रहे हों मै तुम्हारे खिलाफ जीएसटी चोरी की कार्यवाही करूंगा, मेरे द्वारा हाथाजोडी करने पर मेरी फर्म जीएसटी चोरी की कार्यवाही नही करने की ऐवज में 1.50 लाख रूपये रिश्वत की मांग की जब मेरे द्वारा श्री देवेन्द्र इन्सपैक्टर को रिश्वत नही दी तो फिर दिंनाक 12.08.2024 को मुझे सहायक आयुक्त नोटिस जारी करवाकर मुझे वाट्सअप नोटिस भिजवा दिया फिर दिनांक 20.08.2024 को मेरे मोबाईल पर श्री देवेन्द्र इन्सपैक्टर जीएसटी ऑफिस का फोन आया और मुझ से कहा कि आप जीएसटी ऑफिस भिवाडी में आ कर मुझसे मिले इस पर मैं उसी दिन 20.08.2024 को श्री देवेन्द्र जी इन्सपैक्टर से जीएसटी ऑफिस भिवाडी में मिला तो उन्हौने अपनी पूर्व रिश्वत मांग के अनुसार राशि की मांग की मेरे द्वारा राशि कम करवाने पर 1.50 लाख रूपये की मांग की और कहा कि आपके नोटिस का निस्तारण एंव फर्म पर बकाया जीएसटी पर पैनल्टी नही लगाने की ऐवज में रिश्वत की मांग की मैं श्री देवेन्द्र इन्सपैक्टर से काफी परेशान हो चुका हूँ। मै रिश्वत नही देकर रिश्वत राशि देते हुए रगें हाथ पकडवाना चाहता हूं। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर मजीद दरियाफ्त की गई तो प्रार्थना पत्र स्वंय की हस्तलेख एंव प्रार्थना पत्र पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताते हुए बताया कि सहायक आयुक्त केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग -डी भिवाड़ी का दिंनाक 12.08.2024 का एक नोटिस भी प्राप्त हुआ था। नोटिस में मेरी फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 के फर्म द्वारा किये गये सप्लाई के सामान के बिल व काटे गये बिल, बैंक स्टेटमैन्ट का विवरण, आईटी रिर्टन, बैलेन्स शीट आदि पत्र प्राप्ति के पांच दिवस में भिजवाने का प्राप्त हुआ था। मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर आपके विभाग के श्री सतीश कुमार हैड कानि. ने मेरे से आवश्यक पूछताछ कर आपके विभाग के पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर निकालकर पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर में नया एसडी मैमोरी कार्ड डालकर मुझे पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर ऑपरेट करने की विधि समझा कर वक्त करीब 03.10 पीएम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग-डी भिवाड़ी के कार्यालय के लिये मै व सतीश कुमार हैडकानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर वक्त करीब 03.25 पीएम पर उक्त कार्यालय पर पहुंचे श्री सतीश कुमार हैडकानि. ने पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर चालू कर मुझे सुपुर्द कर दिया मैं कार्यालय के अन्दर चला गया सतीश कुमार हैड कानि. कार्यालय के मुख्य गेट के पास खडे हो गये मैनें मेरे मोबाईल से देवेन्द्र इन्सपैक्टर के मोबाईल नम्बर 9887986873 पर वार्ता की तो उसने मुझे कार्यालय से बाहर होना बताया एंव 04.00 बजे के आस पास कार्यालय में आने को कहा जिस पर मैं सतीश कुमार हैड कानि. के पास आया और उपरोक्त तथ्य बताते हुए वाईस रिकॉर्डर सतीश कुमार को सुपुर्द कर दिया। सतीश कुमार ने पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास रख लिया। फिर करीब 04.00 पीएम के आस पास देवेन्द्र इन्सपैक्टर का मेरे मोबाईल पर कॉल आया और मुझे कार्यालय में बुलाया जिस पर सतीश कुमार हैड कानि. ने वाईस रिकॉर्डर चालू कर मुझे सुपुर्द कर दिया और मैं कार्यालय में चला गया। सतीश कुमार मुख्य दरवाजे के पास रूक गया। मै कार्यालय के अन्दर गया तो मुझे देवेन्द्र इन्सपैक्टर कार्यालय में मौजुद मिला उसने मेरी फर्म के विरूद्व कोई कार्यवाही नही करने की ऐवज में 1.50 लाख रूपये की मांग की मेरे द्वारा निवेदन करने पर पहले 1.45 लाख रूपये फिर 1.40 लाख रूपये लेने पर सहमत हुआ। उसके द्वारा की गई रिश्वत मांग वार्ता को मैनें पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैं वहा से रवाना होकर सतीश कुमार हैड कानि. के पास आया और पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर को सुपुर्द कर उपरोक्त तथ्य बताये सतीश कुमार ने वाईस रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। अब तक की कार्यवाही से मैनें व सतीश कुमार हैड कानि. ने आपको जरिये मोबाईल वाट्सअप कॉल अवगत करा दिया था। श्री सतीश कुमार हैड कानि. से पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर मांगने पर कार्यालय की अलमारी से पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर निकाल कर दिया। पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई कार्यालय में उपस्थित सतीश कुमार हैड कानि. से पूछने पर परिवादी के कथनों की ताईद की। गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। तथा पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर में मैमोरी कार्ड सहित कार्यालय की अलमारी में वापिस रखवा दिया। वक्त करीब 04.50 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह सर्वश्री हरिओम चन्द्र बहुगुणा वरिष्ठ योजना सहायक एंव श्रवण कुमार उप प्रबन्धक विधि कार्यालय क्षैत्रीय प्रबधंक रीको, भिवाडी-द्वितीय तलविदा हाजिर आयें। दोनों गवाहान का परिचय कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री मुफरीद खान से करवाया गया। परिवादी द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनों ने बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा दिंनाक 29.08.2024 को ब्यूरों कार्यालय में दिया गया प्रार्थना पत्र पढ़ने को दिया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी का प्रार्थना पत्र पढ़कर अपने-अपने हस्ताक्षर दिंनाक सहित किये। उस समय तक की कार्यवाही से दोनों गवाहान को अवगत कराया गया। फिर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के सामने मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री सतीश कुमार हैड कानि. से कार्यालय की अलमारी से पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर में एसडी कार्ड डले सहित निकलवाकर जिनमें परिवादी एवं आरोपी श्री देवेन्द्र इन्सपैक्टर केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर सभांग-डी भिवाड़ी के मध्य दिनांक 29.08.2024 को रूबरू हुई रिष्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर टेबिल स्पीकर की

मदद से सुना व परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाया गया रिकॉर्ड वार्तालाप में डले एसडी मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड होनी पाई गई। रिकॉर्ड वार्तालाप में आरोपी श्री देवेन्द्र इन्सपैक्टर द्वारा परिवादी से 1.50 लाख रूपये रिश्वत राशी की मांग करना परिवादी द्वारा निवेदन करने पर पहले 1.45 लाख रूपये फिर 1.40 लाख रूपये लेने पर सहमत होना पाया गया। उक्त वार्ता की हूबहू फर्द ट्रासक्रिप्ट श्री राजवीर सिंह कानि0 से बनवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया गया, वार्ताओं में परिवादी श्री मुफरीद खान द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री देवेन्द्र इन्सपैक्टर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। रिकॉर्ड वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव SANDISK 16 GB खाली होना सुनिश्चित कर जिस पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर मे एसडी मैमोरी कार्ड डला हुआ है में वॉइस फोल्डर में rec. 00000 mp3, rec.00001 mp3, rec.00002 mp3, में रिकॉर्ड शुदा वार्ता की जरिये कानि0 राजवीर सिंह विभागीय कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 एवं A 3 अंकित किया गया। मार्क शुदा पैन ड्राईव A1 A2 एवं A 3 को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिब्बी में सुरक्षित रखकर, पैन ड्राईवों को पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का अंकित किया जाकर सील्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा मार्क शुदा पैन ड्राईव A 3, को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया, उक्त प्रक्रिया से पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डरमें रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो पैन ड्राईव बनाई गई। वक्त करीब 08.15 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा वजह सबूत पैन ड्राईव मार्क A1 A2 एवं A 3 को शील्डशुदा हालात में जमा मालखाना करने हेतु श्री सतीश कुमार हैड कानि. को दुरस्त हालात में सुपुर्द किया गया। फिर परिवादी श्री मुफरीद खान एंव संदिग्ध आरोपी श्री देवेन्द्र इन्सपैक्टर के मध्य हुई वक्त रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता में संदिग्ध आरोपी श्री देवेन्द्र इन्सपैक्टर द्वारा रिश्वती राशि 1.40 लाख रूपये की स्पष्ट रूप से मांग की गई हैं। किन्तु उक्त संदिग्ध आरोपी एंव परिवादी के मध्य परिवादी के कार्य से सम्बधिंत कोई वार्ता नही होना पाई गई, इस बाबत ब्यूरों मुख्यालय के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। वक्त करीब 08.15 पीएम पर परिवादी श्री मुफरीद खान को दिंनाक 02.09.2024 को प्रातः 10.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर अपनी सकूनत के लिये रवाना किया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता रखने की हिदायत देकर दिनांक 02.09.2024 को प्रातः 10.00 ए. एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर रवाना किया गया। दिंनाक 02.09.2024 को वक्त करीब 10.30 ए. एम. पर परिवादी श्री मुफरीद खान एंव दोनों स्वतंत्र गवाह सर्व श्री हरिओम चन्द बहुगुणा वरिष्ठ योजना सहायक व श्रवण कुमार उप प्रबंधक विधि तथा श्री भास्कर हैड कानि. हाजिर कार्यालय आये। रूबरू गवाहान रिश्वती मांग का पुनः गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु परिवादी श्री मुफरीद खान को कार्यालय की अलमारी से पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड डले सहित सुपुर्द कर परिवादी के साथ श्री सतीश कुमार हैड कानि. को आरोपी के पास कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग-डी भिवाड़ी के लिये भेजकर करवाया गया। परिवादी एंव सतीश कुमार हैड कानि बाद सत्यापन वक्त करीब 01.15 पर हाजिर कार्यालय आये। श्री सतीश कुमार हैडकानि. ने पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। जिसे जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया। वक्त करीब 01.30 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के सामने मन पुलिस उप अधीक्षक ने पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर में एसडी कार्ड डले सहित जिनमें परिवादी एवं आरोपी श्री देवेन्द्र इन्सपैक्टर केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर सभांग-डी भिवाड़ी के मध्य आज दिनांक 02.09.2024 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है वाईस रिकॉर्डर को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर टेबिल स्पीकर की मदद से सुना व परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाया गया रिकॉर्ड वार्तालाप में डले एसडी मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड होनी पाई गई। उक्त वार्ता की हूबहू फर्द ट्रासक्रिप्ट श्री राजवीर सिंह कानि0 से बनवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया गया, वार्ताओं में परिवादी श्री मुफरीद खान द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री देवेन्द्र इन्सपैक्टर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। रिकॉर्ड वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव SANDISK 16 GB खाली होना सुनिश्चित कर जिस पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर मे एसडी मैमोरी कार्ड डला हुआ है में वॉइस फोल्डर में rec.00004 mp3, में रिकॉर्ड शुदा वार्ता की जरिये कानि0 राजवीर सिंह विभागीय कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईवों पर क्रमषः मार्क B1 B2 एवं B 3 अंकित किया गया। मार्क शुदा पैन ड्राईव B1 व B2 को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिब्बी में सुरक्षित रखकर, पैन ड्राईवों को पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का अंकित किया जाकर सील्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा मार्क शुदा पैन ड्राईव B 3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनषील्ड रखा गया, पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड SANDISK ULTRA 32 GB को निकाल कर मैमोरी कार्ड को एक मैमोरी कार्ड के कवर में रख कर मैमोरी कार्ड को एक प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर डिब्बी को एक सफेद कपड़े की थैली में रख कर थैली को सील मोहर कर मार्क SD अंकित कर थैली पर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। वक्त करीब 03.45 पी.एम. पर रूबरू गवाहान मन् उप अधीक्षक पुलिस ने

परिवादी श्री मुफरीद खान पुत्र श्री जुहूर खान निवासी प्लॉट नम्बर ए-01 श्याम विहार कालोनी नई थडी जयपुर को आरोपी श्री देवेन्द्र इन्सपैक्टर को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 1,40,000/-रूपये पेश करने की कही तो परिवादी ने 1,30,000 रूपये के डमी नोट DUK 616850 भारतीय मनोंरजन बैंक के 500-500 रूपये कुल 260 डमी नोट एंव 10,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के कुल अपने पास से निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये भारतीय चलन मुद्रा के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाकर उपरोक्त पेश शुदा भारतीय चलन मुद्रा के नोटो एंव डमी नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर भारतीय चलन मुद्रा के नोटो नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पष्चात श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीषी श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से मंगवाकर थोडा सा फिनोफ्थलीन पाऊडर श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से एक साफ अखवार पर निकलवाकर उपरोक्त भारतीय चलन मुद्रा के नम्बरी नोटो एंव डमी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया,उक्त नोटो को एक केरी बैग में रखवाकर उक्त केरी बैग के उपर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया, तत्पष्चात परिवादी श्री मुफरीद खान की जामा तलाशी गवाह श्री हरिओम चन्द्र बहुगुणा वरिष्ठ योजना सहायक से लिवाई गई जिसमें परिवादी के पास बदन पर पहने हुये परिधान, मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये भारतीय चलन मुद्रा के 10,000 रूपये एंव भारतीय मनोरंजन बैंक के डमी नोट 1,30,000/-रूपये के नोटो को एक कैरीबैग में रखवाये जाकर केरी बैंग नोटो सहित परिवादी श्री मुफरीद खान को सुपुर्द किये जाकर परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी श्री देवेन्द्र गुर्जर, निरीक्षक के मांगने पर ही उसे देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखता है, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत में उक्त नोट प्राप्त करने पर मोबाईल फोन से मिस कॉल करने का रिश्वत प्राप्ति का ईशारा बताया गया साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक के मध्य में होने वाले रिष्वत के लेन-देन को देखने तथा होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवष्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री सतीश कुमार हैड कानि से एक साफ पारदर्शी प्लास्टिक डिसपोजल गिलास मंगवाकर उसे साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर उक्त गिलास में साफ पानी मंगवाकर कार्यालय की अलमारी से सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को निकलवाकर पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में गवाह श्री श्रवण कुमार से पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, साफ ही रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के अपरिवर्तित घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठें को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहो तथा हाजरीन को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीषी को ढक्कन बंद करवाकर श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी में रखवाई गईं तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीषी को ट्रेप बोक्स में सतीश कुमार हैड कानि के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक से गिलास के धोवन को बाहरं फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार एवं पारदर्षी प्लास्टिक डिसपोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक के दोनो हाथों को सावुन व पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों-कांच की खाली शीषीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को सतीश कुमार हैड कानि. से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी तथा, सतीश कुमार, व समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये । इसके बाद परिवादी मुफरीद खान को छोडकर दोनों गवाहान एवं ट्रैप पार्टी सदस्य तथा मन पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी श्री मुफरीद खान को रिष्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय पैन ड्राईव नुमा वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द कर परिवादी के बदन पर एक कपड़े की सिली हुई थैली शर्ट की नीचे बांध कर थैली में रखवाया जाकर आवष्यक हिदायत दी गई, उपरोक्त जरिये फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट पूर्ण की गई। वक्त करीब 04.15 पी.एम. पर श्री साहिब सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री रवि कुमार कानि., श्री लल्लूराम कानि.,श्री भास्कर हैडकानि. को जरिये राजकीय वाहन टवेरा मय चालक श्री महेश चन्द मय सरकारी लेपटॉप , प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ट्रेप सामग्री के एंव परिवादी श्री मुफरीद खान व श्री सतीश कुमार हैड कानि. को परिवादी की कार से श्री सतीश कुमार हैड कानि. को सदिंग्ध आरोपी के पास भेजने से पूर्व परिवादी को पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर चालू करने की हिदायत देकर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु आगे-आगे रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री हरिओम चन्द्र, व श्री श्रवण कुमार, एंव श्री राजवीर सिंह कानि. के प्राईवेट वाहन से कार्यालय

सीजीएसटी भिवाडी के लिये रवाना होकर वक्त करीब 04.25 पी.एम. पर सीजीएसटी कार्यालय भिवाड़ी के नजदीक पहुंचा सभी वाहनों को साईड में खडा करवाकर आरोपी श्री देवेन्द्र इन्सपैक्टर की लोकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री देवेन्द्र इन्सपैक्टर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवाई तो आरोपी ने थोड़ी देर में आने को कहा और कहा कि मैं आकर फोन करता हूँ। परिवादी ने कहा कि मैं 05.00 पी.एम. पर मिलता हूँ। उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर परिवादी को सुपुर्दशुदा पैन ड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया। वक्त 05.15 पी.एम.तक आरोपी का परिवादी के पास मोबाईल फोन नही आने पर परिवादी से पुनः आरोपी से उपरोक्त मोबाईल नम्बर पर वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने कहा कि मैं आ गया आप आ जाओं उक्त वार्तालाप को भी परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर परिवादी को सुपुर्दशुदा पैन ड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया। फिर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर उसको सुपुर्दशुदा वाईस रिकॉर्डर श्री सतीश कुमार हैड कानि. से चालू करवाकर आरोपी के पास सीजीएसटी कार्यालय के लिये रवाना किया गया। परिवादी के पीछे पीछे सतीश कुमार हैडकानि0 को रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व स्टाफ के रवाना होकर सीजीएसटी कार्यालय के पास अपनी मौजूदगी छिपाते हुए परिवादी से मुकर्रर ईशारे के इंतजार में मुकिम हुआ । परिवादी सीजीएसटी कार्यालय के मुख्य दरवाजे के सामने सीढियाँ चढकर द्वितीय तल पर चला गया। सतीश कुमार हैडकानि0 सीढियो के पास पार्क पर खडा हो गया। फिर रूबरू गवाहान समय 05.42 पी0एम0 पर परिवादी श्री मुफरीद खान ने कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग-डी भिवाडी के अन्दर से जरिये मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस्डकॉल कर रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का निर्धारित ईशारा मिलने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस एंव दोनों स्वतंत्र गवाहान व समस्त जाब्ता को हमराह लेकर कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग-डी भिवाडी द्वितीय तल पर सीढ़िया चढ़कर आरोपी के कार्यालय कक्ष के पास परिवादी के पास पहुंचे। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से पैन ड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने कार्यालय कक्ष में टेबल के सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह देवेन्द्र निरीक्षक सीजीएसटी भिवाड़ी है। जिसने अभी-अभी मेरे से 1.40 लाख रूपये रिश्वत के मांग कर मेरे से केरी बैग सहित रिश्वत राशि लेकर इनके पास आये एक व्यक्ति को दे दिये है और वह व्यक्ति कार्यालय में आगे के रूम में चला गया है। जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा निरीक्षक के कक्ष में टेबल के सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो वह एकदम घबरा गया और अपना नाम श्री देवेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री पन्नालाल उम्र 31 साल जाति गुर्जर निवासी 143 जगदीश पुरी नियर धाबास पुलिया जयपुर हाल निरीक्षक कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग-डी भिवाडी होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व गवाहान के श्री देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक को हमराह लेकर कार्यालय कक्ष में बने दुसरे कक्ष में जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि लेकर अन्य व्यक्ति को दे दी थी और वह व्यक्ति उक्त कक्ष में चला गया है मैं पहुचा। उक्त कक्ष में एक व्यक्ति एक आयरन रेक के पास खडा हुआ है कि तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही वह व्यक्ति है, जिसको रिश्वती राशि केरी बैग सहित देवेन्द्र गुर्जर द्वारा दी गई है। उक्त व्यक्ति को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा निरीक्षक के कक्ष में टेबल के सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री भाव सिंह पुत्र श्री चन्दूराम उम्र 40 साल जाति मेघवाल निवासी खिलोरा पुलिस थाना रामगढ़ जिला अलवर हाल ठेके पर सहायक कर्मचारी का कार्य, कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग-डी भिवाडी होना बताया। आरोपी श्री देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक से परिवादी से प्राप्त की गई 1.40 लाख रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा तो बताया कि मैं मुफरीद खान को जानता हूँ इसकी किंगडम होल्डिंग कन्ट्रक्शन गु०रप टपुकड़ा में फर्म है। मैं आयुक्त सीमा शुल्क एनएस-2 जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाउस न्हावाशेवा जिला रायगढ़ महाराष्ट्र के पत्र क्रमांक 18.07.2024 की पालना में हमारे कार्यालय के श्री भूपेन्द्र विजय सहायक आयुक्त से नोटशीट पर अनुमति प्राप्त कर आज से करीब 20-25 दिन पूर्व उक्त फर्म का फिजीकल भौतिक सत्यापन करने हेतु गया था। फर्म पर फर्म प्रोपराईटर श्री मुफरीद खान हाजिर मिला उसने मुझे कहा कि फर्म के दस्तावेज अभी मेरे पास उपलब्ध नही है, सी.ए. के पास है कुछ दिन बाद मैं आपको दस्तावेज उपलब्ध करा दुंगा। फिर मैं वहा से आ गया था। श्री मुफरीद खान द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नही करवाने पर मैनें सहायक आयुक्त से दिंनाक 12.08.2024 को नोटिस जारी करवाकर मेरे द्वारा जरिये वाट्सअप व ईमेल प्रेषित किया गया। फिर मुफरीद खान एक दिन मेरे पास आया और मुझे कहा कि मैं जल्दी ही दस्तावेज उपलब्ध करा दुंगा। फिर दिंनाक 29.08.2024 को मुफरीद खान मेरे पास आया और मुझे कहा कि मुझे समय दो तत्पश्चात आज दिंनाक 02.09.2024 को मुफरीद खान मेरे पास और मुझे कुछ दस्तावेज दिये और कहा कि शेष रहे दस्तावेज लंच के बाद लाकर दे दुंगा। फिर यह आज दिंनाक को ही सायकाल करीब 05.30 पी.एम. के आस पास मेरे पास मेरे कार्यालय कक्ष में आया था मैने इनसे कोई राशि नही ली व न ही मांगी है। आरोपी देवेन्द्र गुर्जर के उक्त कथन पर मौके पर मौजुद परिवादी श्री मुफरीद खान ने पूछने पर बताया कि आरोपी देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक झूठ बोल रहा है। दिंनाक 29.07.2024 को मेरी फर्म के ऑफिस पर आया था और मेरी फर्म के बिल वाउचर आदि रिकॉर्ड चैक कर कहा कि आप जीएसटी की चोरी कर रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ जीएसटी चोरी की कार्यवाही करूंगा। मेरे द्वारा हाथाजोडी करने पर आरोपी देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक ने मेरी

फर्म के विरूद्व जीएसटी चोरी की कार्यवाही नही करने की ऐवज में 1.50 लाख रूपये रिश्वत की मांग की मेरे द्वारा रिश्वत राशि नही देने पर मेरी फर्म के नाम सहायक आयुक्त केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग-डी भिवाड़ी से दिंनाक 12.08.2024 से नोटिस जारी करवाकर जरिये वाट्सअप मुझे भिजवा दिया। नोटिस प्राप्ति के कुछ दिन बाद मैं देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक से उसके कार्यालय में मिला तो उसने मुझे कहा कि आप द्वारा 1.50 लाख रूपये नही पहुचाये इस कारण मैनें आपको नोटिस जारी करवा दिया और कहा कि 1.50 लाख रूपये एंव आपके फर्म के दस्तावेज मेरे पास भिजवा देना मैं आपको दिये गये नोटिस के निस्तारण व फर्म पर बकाया जीएसटी पर पेनल्टी नही लगाऊंगा। तत्पश्चात मैनें दिंनाक 28.08.2024 को दोपहर में जरिये वाट्सअप कॉल आपसे वार्ता कर उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराया जिस पर आपने मुझे कार्यालय में आने की कही, मैनें आपको दिंनाक 29.08.2024 को कार्यालय में उपस्थित आने की कही थी। दिंनाक 29.08.2024 को मैंनें आपको जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता कर आपके कार्यालय में आने की कही तो आपने कहा कि कार्यालय में श्री सतीश कुमार हैड कानि. मिलेगें, आप कार्यवाही से सम्बधित प्रार्थना पत्र उन्हे देकर रिश्वत मांग गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही करा देना। तत्पश्चात मैंने आपके कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र श्री सतीश कुमार हैड कानि. को दिया। श्री सतीश कुमार हैड कानि. ने दिनांक 29.08.2024 को ही रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन कराया तो देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक ने नोटिस के निस्तारण व फर्म पर बकाया जीएसटी पर पेनल्टी नही लगवाने की ऐवज में 1.50 लाख रूपये रिश्वत की मांग की मेरे द्वारा निवेदन करने पर पहले 1.45 लाख रूपये फिर 1.40 लाख रूपये लेने पर सहमत हुआ। तत्पश्चात आप द्वारा आज दिनांक 02.09.2024 को पुनः रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया तो इन्होने नोटिस के निस्तारण व फर्म पर बकाया जीएसटी पर पेनल्टी नही लगवाने की ऐवज में 1.40 लाख रूपये की मांग की उक्त मांग के अनुशरण में आज इनके मांगने पर इनको 1.40 लाख रूपये जिनमें से 10,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एंव 1.30 लाख रूपये डमी नोट भारतीय मनोरजंन बैंक के केरी बैग सहित इनको दिये इन्होंने केरी बैग सहित रिश्वत राशि मेरे से प्राप्त कर इनके पास आये रिश्वत राशि का केरी बैग उक्त श्री भाव सिंह को दे दिया। तत्पश्चात आरोपी श्री भाव सिंह से देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक से प्राप्त की गई रिश्वती राशि केरी बैंग सहित के बारे में पूछा तो बताया कि रिश्वती राशि केरी बैंग सहित आयरन रेक के उपर रखी हुई है। और बताया कि मुझे यह केरी बैंग राशि सहित देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक ने दिया है और कहा कि मैं बाद में आप से ले लूंगा। आरोपी श्री भाव सिंह के उक्त कथन पर मौके पर मौजुद परिवादी ने कहा कि भाव सिंह सही बोल रहा है। रिश्वती राशि केरी बैंग सहित स्वतंत्र गवाह श्री हरिओम चन्द्र से आयरन रेक से उठवाकर केरी बैग से राशि निकलवाकर दोनों गवाहान से गिनवाई तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 /-रूपये एंव भारतीय मनोरंजन बैंक के 500-500 रूपये डमी 260 नोट कुल 1.30 लाख रूपये पाये गये भारतीय चलन मुद्रा के नोटो के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी सुपुर्दगी नोट से करवाने पर नम्बर हुबहु पाये गये डमी नोट कन्ज 616850 सीरीज पाये गये। उक्त राषि गवाह श्री हरिओम चन्द्र के पास केरी बैग सहित सुरक्षित रखवाई गई। श्री लल्लूराम कानि. कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर सभांग -डी भिवाडी में लगे आर.ओ. से एक बोतल में पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स से दो प्लास्टिक का पारदर्शी डिसपोजल गिलास निकलवाकर दोनो गिलासों में पानी भरवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बानेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला एक गिलास के घोल में आरोपी श्री भाव सिंह ठेके पर सहायक कर्मचारी पर कार्य करने वाला के दाहिने हाथ की उंगली व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शीषियों में आधा- आधा भरवाकर शीषियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R1 व R2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। दुसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री भाव सिंह के बाये हाथ की उंगली व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कॉच की शीषियों में आधा- आधा भरवाकर शीषियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क L1 व L2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। फिर श्री लल्लूराम कानि. कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर सभांग -डी भिवाडी में लगे आर.ओ. से एक और बोतल में पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स से दो प्लास्टिक का पारदर्शी डिसपोजल गिलास निकलवाकर दोनो गिलासों में पानी भरवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बानेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला एक गिलास के घोल में आरोपी श्री देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक के दाहिने हाथ की उंगली व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया तो घोल का रंग हल्का सा गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शीषियों में आधा- आधा भरवाकर शीषियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R3 व R4 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। दुसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री देवेन्द्र गुर्जर के बाये हाथ की उंगली व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया तो घोल का रंग हल्का सा गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कॉच की शीषियों में आधा- आधा भरवाकर शीषियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क L3 व L4 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात ट्रेप बाक्स से एक प्लास्टिक का पारदर्षी डिसपोजल गिलास निकलवाकर गिलास में पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बानेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला उक्त गिलास के घोल में आयरन रेक के जिस स्थान जहां रिश्वती राशी केरी बैग रखी हुई बरामद हुई है उक्त स्थान को रूई की सहायता से धोवन लिया गया तो घोल का रंग हल्का

गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कॉच की शीषियों में आधा-आधा भरवाकर शीषियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क IR1 व Vh IR2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के फौवा को सुखा कर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क- F अंकित कर थैली पर सम्बधिंतों के हस्ताक्षकर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्ता एसीबी लिया गया। परिवादी की फर्म का आरोपी श्री देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन से संबंधित रिकार्ड सहायक आयुक्त से मांगने पर श्री देवकी नन्दन, अधीक्षक ने फर्म के भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रमाणित प्रति पेश की जिन्हे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। इस समय वक्त करीब 07.20 पीएम बज चुके है, कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर सभांग-डी भिवाडी में लाईट बार बार कट रही है ट्रेप कार्यवाही में लाईट की वजह से व्यवधान हो रहा है। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही स्टाफ, गवाहान, परिवादी के दोनों आरोपी श्री देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक व श्री भावसिंह के मय वजह सबूत को हमराह लेकर कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर सभांग-डी भिवाडी से रवाना होकर एसीबी कार्यालय भिवाडी पहूंचा। दोनो आरोपितों को कार्यालय में बैठाया गया व अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। गवाह श्री हरिओम चन्द्र के पास सुरक्षित रखी हुई केरी बैंग सहित रिश्वती राशि केरी बैग से राशि निकलवाकर पुनः दोनों गवाहान से गिनवाई तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 /-रूपये एंव भारतीय मनोरंजन बैंक के 500-500 रूपये डमी 260 नोट कुल 1.30 लाख रूपये होना पाये गये। भारतीय चलन मुद्रा के नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द मे अंकित करवाकर उपरोक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नम्बरी नोट कुल 10,000/- रूपये व भारतीय मनोरजंन बैंक के 500-500 रूपये के 260 डमी नोट कुल 1,30,000 रूपये को केरी बैंग सहित एक पीले रंग के लिफाफे में रखवाकर सील्ड मोहर कर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुफरीद खान से प्राप्त शुदा पैन ड्राईव नुमा वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया तो पैन ड्राईव नुमा वाईस रिकॉडर में लगे मेमौरी कार्ड में परिवादी व आरोपी के मध्य रिष्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पैन ड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपित श्री देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक व श्री भाव सिंह तथा परिवादी श्री मुफरीद खान को एक साथ आमने सामने कर पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिष या दुष्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है तो सभी ने अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। उक्त कार्यवाही की मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल में एसडी मैमोरी कार्ड SANDISK ULTRA 32GB डालकर श्री राजवीर सिंह कानि. से विडीयोग्राफी करवाई गई। मोबाईल से मैमोरी कार्ड SANDISK ULTRA 32GB को निकालकर कम्प्यूटर की सहायता मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा विडीयोग्राफी को एक पैन ड्राईव SANDISK 16 GB में संग्रहित करवाकर पैन ड्राईव को आई.ओ. प्रति हेतु खुली अवस्था में रखा गया। मैमोरी कार्ड SANDISK ULTRA 32GB को प्लास्टिक कवर में रख कर मैमोरी कार्ड को कवर सहित एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD1 अंकित कर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबुत कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही जरिये फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पूर्ण की गई । दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के सामने मन पुलिस उप अधीक्षक ने पेन डाईव नुमा वाईस रिकार्डर में एसडी कार्ड डले सहित जिसमे परिवादी एंव आरोपी श्री देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक सीजीएसटी भिवाडी के मध्य वक्त रिश्वत लेन देन मोबाईल एवं रूबरू हुई रिश्वत मॉग संबंधी वार्ता रिकार्ड है वाईस रिकार्डर को विभागीय कम्प्यूटर के मदद से चालू करवारक टेबल स्पीकर की मदद से सुना व परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाया गया। रिकार्ड वार्तालाप एसडी मेमोरी कार्ड में रिकार्ड होना पाई गई । उक्त वार्ता की हुबहू फर्द ट्रॉस्क्रिप्ट श्री राजवीर सिह कानि ने बनवाई जाकर हिंदी रूपान्तरण तैयार करवाया गया। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री मुफरीद खान द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री देवेन्द्र इन्सपैक्टर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। उक्त वार्ता की हूबहू फर्द ट्रासक्रिप्ट श्री राजवीर सिंह कानि0 से बनवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया गया, वार्ताओं में परिवादी श्री मुफरीद खान द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री देवेन्द्र इन्सपैक्टर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। रिकॉर्ड वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु चार खाली पैन ड्राईव SANDISK 16 GB खाली होना सुनिश्चित कर जिस पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर मे एसडी मैमोरी कार्ड डला हुआ है में रिकॉर्ड शुदा वार्ता की जरिये कानि0 राजवीर सिंह विभागीय कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से चार पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईवों पर क्रमषः मार्क C1 C2 C3 एवं C4 अंकित किया गया। मार्क शुदा पैन ड्राईव C1 C2 C3 को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिब्बी में सुरक्षित रखकर, पैन ड्राईवों को पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का अंकित किया जाकर सील्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा मार्क शुदा पैन ड्राईव C4 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया, पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड SANDISK ULTRA 32GB को निकाल कर मैमोरी कार्ड को एक मैमोरी कार्ड के कवर में रख कर मैमोरी कार्ड को एक प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर डिब्बी को एक

सफेद कपड़े की थैली में रख कर थैली को सील मोहर कर मार्क SD2 अंकित कर थैली पर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। प्रक्रिया से पैनड्राईव नुमा वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो पैन ड्राईव बनाई गई। दिंनाक 03.09.2024 को वक्त करीब 12.10 ए.एम.मन पुलिस उप अधीक्षक ने श्री देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग-डी भिवाडी को जुर्म से आगाह कर हस्बकायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार दी गई। वक्त करीब 12.40 ए.एम. पर मन पुलिस उप अधीक्षक ने श्री भाव सिंह ठेके पर सहायक कर्मचारी का कार्य, कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग-डी भिवाडी को जुर्म से आगाह कर हस्बकायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द बाद हस्ताक्षर संलग्न पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार दी गई। वक्त करीब 01.20 ए.एम.पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान वजह सबूत माल शील्ड शीशियॉ, रिश्वती राशि पेन ड्राईव आदि को सील मोहर में काम मे ली गई पीतल की ब्रॉस सील नम्बर 7 को श्री लल्लूराम कानि. से जरिये फर्द तुडवाकर नष्ट करवाया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत शील्ड शुदा पेन ड्राईव , एसडी मेमोरी कार्ड, रिश्वती राशि आदि एवं अनशील्ड वजह सबूत श्री सतीश कुमार हैडकानि को जमा मालखाना करने हेतु सुपुर्द किया गया। वक्त करीब 10.00 ए. एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हरिओम चंद्र वरिष्ठ योजना सहायक एवं श्री श्रवण कुमार उप प्रबंधक विधि मय स्टाफ श्री भास्कर हैडकानि0 व सतीश कुमार हैडकानि0 व परिवादी श्री मुफरीद खॉन के घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका तैयार करने हेतु घटना स्थल कार्यालय सीजीएसटी भिवाडी के लिए जरिये राजकीय वाहन मय चालक श्री महेश चंद के रवाना होकर परिवादी के निशादेही में घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार कर जरिये राजकीय वाहन मय चालक के वक्त करीब 10.45 ए.एम.पर कार्यालय हाजा हाजिर आया। अब तक की गई संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री मुफरीद खान पुत्र श्री जुहूर खान निवासी प्लॉट नम्बर ए-01 श्याम विहार कालोनी नाई की थडी जयपुर की फर्म किंगडम होल्डिंग कन्ट्रक्शन गु्रप टपूकडा द्वारा बिल्डिंग बनाने एंव चौपाहिया वाहन क्रय-विक्रय का कार्य करती है। दिंनाक 29.07.2024 को आरोपी श्री देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग-डी भिवाडी परिवादी की उक्त फर्म के ऑफिस पर गया और फर्म प्रोपराईटर परिवादी मुफरीद खॉन के बिल वाउचर चैक किये तथा कहा कि आप जीएसटी की चोरी कर रहे हों मै तुम्हारे खिलाफ जीएसटी की चोरी की कार्यवाही करूंगा। परिवादी द्वारा हाथाजोडी करने पर आरोपी द्वारा उक्त फर्म पर जीएसटी चोरी की कार्यवाही नही करने की ऐवज में रिश्वत की मांग की तत्पश्चात परिवादी मुफरीद खॉन की फर्म को आरोपी श्री देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक ने सहायक आयुक्त केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग -डी भिवाड़ी से फर्म को नोटिस जारी करवा कर जरिये व्हाटसअप भेजकर रिकॉर्ड पेश करने की कही। परिवादी द्वारा नोटिस के निस्तारण हेतु आरोपी श्री देवेन्द्र गुर्जर निरीक्षक दौराने रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी से मिलने पर उक्त द्वारा 1,50,000 /- रूपये की मांग की गई। आरोपी द्वारा नोटिस का निस्तारण करवाने और फर्म पर बकाया जीएसटी पर पेनल्टी नही लगाने कि ऐवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिंनाक 29.08.2024 एंव दिंनाक 02.09.2024 को 1.50 लाख रूपये रिश्वत राशि मांगकर 1.40 लाख रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना उक्त मांग के अनुशरण में दिंनाक 02.09.2024 को परिवादी से 1.40 लाख रूपये कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग-डी भिवाड़ी में परिवादी से प्राप्त कर आरोपी श्री भाव सिंह ठेके पर सहायक कर्मचारी को देना व सहायक कर्मचारी द्वारा रिश्वती राशि कैरी बैग सहित आयरन रेंक पर रख दी। रिश्वती राशि आयरन रेक से बरामद की गई। परिवादी के पास रिश्वत मांग के अनुसार 1.40 लाख रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था नही होने पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी द्वारा 10,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के एंव 1.30,000/- रूपये के डमी नोट भारतीय मनोंरजन बैंक के ब्यूरों को पेश करने पर आरोपितो को रिश्वत में दिये गये है। अतः श्री देवेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री पन्नालाल उम्र 31 साल जाति गुर्जर निवासी 143 जगदीश पुरी नियर धाबास पुलिया जयपुर हाल निरीक्षक कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग-डी भिवाडी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित (2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 मे प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है श्री भाव सिंह पुत्र श्री चन्दूराम उम्र 40 साल जाति मेघवाल निवासी खिलोरा पुलिस थाना रामगढ़ जिला अलवर हाल ठेके पर सहायक कर्मचारी का कार्य, कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग-डी भिवाडी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित (2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 मे प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है उक्तो के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित (2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है। (परमेश्वर लाल) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भिवाडी। .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाड़ी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1.श्री देवेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री पन्नालाल उम्र 31 साल निवासी 143 जगदीश पुरी नियर धाबास पुलिया जयपुर हाल निरीक्षक कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर संभाग-डी भिवाडी 2. श्री भाव सिंह पुत्र श्री चन्दूराम उम्र 40 साल जाति मेघवाल निवासी खिलोरा पुलिस थाना रामगढ़ जिला अलवर हाल ठेके पर सहायक कर्मचारी का कार्य, कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एंव सेवाकर

संभाग-डी भिवाडी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री इस्माईल खाँ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनू को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 37 पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज., जयपुर क्रमांक 1010-13 दिनांक 03.09.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2 आयुक्त केडर कन्ट्रोल सीजीएसटी अलवर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर द्वितीय। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर द्वितीय हाल भिवाड़ी। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ISMAIL KHAN **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 0 /2024 2 9

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				
2	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)